

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक एफ.20 ( ) कार्मिक/प्रमुवसं/२१५

दिनांक ५-५-२०२०

**कार्यालय आदेश**

गृह विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ 13(2)गृह (गुप-9)/2019 दिनांक 15.04.2020 एवं दिनांक 02.05.2020 के क्रम में कोरोना सक्रमण से आम जनो को सुरक्षा प्रदान करने तथा स्वास्थ्य की रक्षा की दृष्टिगत रखते हुये राजस्थान सरकार द्वारा अनेक प्रतिबन्धात्मक उपाय किये गये है। इस दृष्टि से इस कार्यालय में लोकडाउन 3.0 की अवधि दिनांक 04.05.2020 से 17.05.2020 तक की अवधि के दौरान लोकडाउन की पालना हेतु गृह विभाग के दिशा निर्देशो एवं कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प 4 (8)कार्मिक/ख-3/2016 दिनांक 17.04.2020 के क्रम में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को कार्यालय में एक तिहाई (33 प्रतिशत) उपस्थित होने हेतु निम्न 3 गुपों में विभाजित किया जाता है। गुप-ए दिनांक 04.05.2020, 07.05.2020, 12.05.2020, 15.05.2020 गुप-बी दिनांक 05.05.2020, 08.05.2020, 13.05.2020 गुप-सी दिनांक 06.05.2020, 11.05.2020, 14.05.2020 को ही कार्यालय में उपस्थित होंगे।

क्र.सं	गुप-ए	गुप-बी	गुप-सी
<b>कार्मिक</b>			
	चिरंजी लाल बैरवा, अ.प्र.अ.	अन्जना वर्मा, क.स.	अभय दाधीच, क.स.
	मुकेश कुमार बुनकर, व.स.	देवेन्द्र कुमार, क.स.	केसर मल, स.प्र.अ.
	भवानी सिंह, अ.प्र.अ.	मदन लाल शर्मा, व.सं.	ओमप्रकाश गुर्जर, क.स.
	जनिका शर्मा, क.स.	योगेन्द्र सिंह, व.स.	सविता कुलक्षेष्ठ, व.स.
	जगदीश नारायण रैगर, स.प्र.अ.		
<b>जांच</b>			
	सुरेश चन्द्र कुमावत, स.प्र.अ.	रमारानी शर्मा, व.स.	राजेश कुमार शर्मा, व.स.
	राकेश नाथ माथूर, व.स.	रामकिशोर पलसानिया, क.स.	मनोज कुमार सैनी, क.स.
	अरूप बर्नजी, व.स.		
<b>श्रम</b>			
	अशोक कुमार शर्मा, व.स.	जितेन्द्र शर्मा, क.स.	किशन लाल मीणा, स.प्र.अ.
	भुपेन्द्र सिंह राठोड, क.स.	मुकेश सैनी, व.स.	राजकुमार खण्डेलवाल, व.स.
<b>उत्पादन</b>			
	भुवनेश्वर शर्मा, व.स.	हरि प्रसाद शर्मा, व.स.	हरि प्रसाद शर्मा, व.स.
<b>लेखा</b>			
	सूनीता संगतानी, स.ले.अ.	दिव्या शर्मा, क.ले.	डां. विरेन्द्र सिंह, व.ले.
	मकखन लाल अटल, स.ले.	हरिश कुमावत, क.ले.	हीरा लाल मीणा, स.ले.
	गणेश राम वर्मा, क.ले	अन्जना जांगिड, क.ले.	मनोज कुमार शर्मा, सं.ले.
	राकेश वर्मा, क.ले.	रोशन कुण्डारा, क.ले.	रोहिताश यादव, क.ले.
	सूमनलता भीमवाल, क.ले.	हेमेन्द्र मनोहर, व.स.	जगदीश प्रसाद जाट, स.प्र.अ.
<b>सांख्यिकी</b>			
	अनिल सेक्सैना, स.सा.अ	भरत लाल मीणा, सा.अ.	जुगल किशोर वर्मा, सा.नि.

<b>एफ सी ए</b>		
लाल चन्द्र मीणा, स.प्र.अ.	चेतन कुमार सोनी, व.स.	खेमराज स्वर्णकार, स.प्र.अ.
अंकित कुमार शर्मा, कं.स.	सुधीर कुमार पारिक, व.स.	
<b>वन सुरक्षा</b>		
दिनेश पडियार, क.स.	मुकेश कुमार, क.स.	रामगोपाल गुर्जर, क.स.
विनोद कुमार, व.स.		
<b>विधि एवं वादकरण</b>		
जगदीश चन्द्र, अ.प्र.अ.	अभिषेक, क.स.	धनपत मीणा, क.स.
सूरज मल, व.स.	कमलेश कुमार सैनी, क.स.	रेखराज खोलिया, स.प्र.अ.
चन्द्रकान्ता आसनानी, व.स.	मुजाहिद अली जैदी, क.स.	
<b>विधानसभा एवं सूचना का अधिकार</b>		
ललित जागा, व.स.	लोकेश कुमार वर्मा, क.स.	नरसी लाल, क.स.
श्रवन कुमार मीणा, अ.प्र.अ.	विरेन्द्र सिंह, क.स.	
<b>विकास</b>		
अमर सिंह बैरवा, स.सा.अ.	मधु अरोडा, स.प्र.अ.	प्रकाश चन्द्र यादव, व.स.
गिरिराज बडेतिया, क.स.	रमेश चन्द्र चौधरी, व.स.	सरदार सिंह राठोड, व.स.
गीता मीणा, क.ले.	सरिता चौहान, क.स.	
<b>गोपनीय</b>		
महेन्द्र कुमार शर्मा, अ.प्र.अ.	श्रवन कुमार बैरवा, व.स.	तिलोक राम, व.स.
दिनेश शर्मा, व.स.		
<b>आवक-जावक अनुभाग</b>		
मेघराज, व.सं..	रवि कुमार मीणा, क.स.	रूप नारायण, व.स.
<b>नाबार्ड</b>		
चारु आर्य, क.ले.	सूनीता कुमावत, व.स.	चारु आर्य, क.ले.
<b>बिल एवं स्टोर</b>		
संजीव कुमार गौड, क्षे.व.अ.	चेतन कुमार नूनीवाल, व.स.	घनश्याम सिंघल, व.स.
सूनील कुमार जैन, स.प्र.अ.	श्योजीराम, वनपाल	फेतह बहादूर, व.स.
सूशील कुमार शर्मा, स.ले.	केदार मल यादव, व.स.	धर्मेश शर्मा, क.स.
धर्मेश शर्मा, क.स.		
<b>मूल्यांकन एवं कम्प्यूटर रूम</b>		
करन सिंह यादव, क.स.	गार्गी शर्मा, क.स.	सूबोध दाधीच, व.स.
<b>तकनीकी, समन्वय एवं मेडिसनल प्लान्ट</b>		
बसन्त कुमार कूलवाल, अ.प्र.अ.	मुकेश भारद्वाज, व.स.	ललता मीणा, क.स.

श्री हरिश शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी एवं सम्पदा अधिकारी एवं उनका समस्त स्टॉफ प्रत्येक कार्य दिवस को कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

उक्त कार्मिक रोटेशन से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे, तथा शेष रहे कर्मचारी (WORK FROM HOME) पर कार्य करेंगे, तथा आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त प्रभाव से कार्यालय में उपस्थित होंगे।

अधिकारियों के पास कार्यरत स्टॉफ यथा स्टेनो सवर्ग, चालक, सहायक कर्मचारी प्रत्येक कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

इस लोकडाउन अवधि में सभी अधिकारियों, कार्मिक मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे, तथा किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। यह व्यवस्था दिनांक 04.05.2020 से 17.05.2020 तक रहेगी।

कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 17.04.2020 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार इस कार्यालय में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी जो शहर के कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों या कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र में रहते हैं, को आगामी आदेश तक कार्यालय में उपस्थित होने की छुट रहेगी परन्तु उक्त कार्मिक मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे तथा घर से ही राजकार्य का निष्पादन (WORK FROM HOME) करेंगे, जो कर्मचारी जो शहर के कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों या कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र में रह रहे हैं, वे उक्त आशय का प्रमाण-पत्र कार्यालय में उपस्थित होने पर प्रस्तुत करेंगे।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी निर्देशों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने के संबंध में अन्य निदेशों के साथ-साथ गृह विभाग के आदेश दिनांक 02.05.2020 की पालना अनिवार्य रूप से करेंगे।

अरण्य भवन में स्थित अन्य कार्यालय यथा APCCF & CWLW, PCCF (NTFP), PCCF (WPFS), PCCF (TREE) अपने स्तर से उनके कार्यालय में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को कार्यालय के एक तिहाई (33 प्रतिशत) उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

( जी. वी. रेड्डी )

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.20 ( ) कार्मिक/प्रमुवसं/

दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग/ गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण/अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण
3. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षकगण/वन संरक्षकगण/उप वन संरक्षकगण/सहायक वन संरक्षकगण, अरण्य भवन, राजस्थान जयपुर।
5. नोटिस बोर्ड।
6. गार्ड फाईल

( वेद प्रकाश गुर्जर )

वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)  
राजस्थान, जयपुर

